



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-385/2022

दिनांक- 19-नवम्बर-2022

\*प्रेस-विज्ञप्ति\*

\*थाना – बरदह\*

\*डा0 अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार\*

\*पूर्व की घटना\*

दिनांक 18:11:22 को वादी आदर्श कुमार पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम महमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थानास्थानीय पर शिकायत की गयी कि सचिन विश्वकर्मा पुत्र छेदी विश्वकर्मा ग्राम तुंगी रसूलपुर थाना बरदह उम्र करीब 26 वर्ष दिनांक 17/11/22 को शाम लगभग 17:00 बजे बाबा साहब भीमाराव अम्बेडकर की प्रतिमा का दाहिना हाथ तोड़ दिया है। जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 373/22 धारा 295/427 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

\*गिरफ्तारी का विवरण\*

आज दिनांक 19:11:22 को उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सचिन विश्वकर्मा पुत्र छेदी विश्वकर्मा ग्राम तुंगी रसूलपुर थाना बरदह उम्र करीब 26 वर्ष को जिवली तिराहे से समय करीब 10:40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

\*पंजीकृत अभियोग\*

मु0अ0सं0- 373/22 धारा 295/427 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

\*गिरफ्तार अभियुक्त\*

सचिन विश्वकर्मा पुत्र छेदी विश्वकर्मा ग्राम तुंगी रसूलपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

उ0नि0 गोपाल जी थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आरक्षी विनोद कुमार थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

\*थाना – जीयनपुर\*

\*मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार\*

\*पूर्व की घटना\*

दिनांक 06:11:2022 को वादी मुकदमा कैलाश उर्फ शिवम कुमार पुत्र स्व सूर्यदेव राम नि0ग्राम हरखोरी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर माँ बहन की गाली देते हुए लाठी डण्डा से मारना पिटना व जान से मारने की धमकी देना व मारने पिटने से मौके पर बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी थी। जिस थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 672/2022 धारा 34,323,504,506,308 भादवि व 3(1) द 3(1) ध 3(2) 5 क SC/ST ACT बनाम -1:कुलदीप गौड़ पुत्र चन्द्रभान 2:रणदीप गौड़ पुत्र चन्द्रभान नि0ग्राम हरखोरी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ व 3:तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

\*गिरफ्तारी का विवरण\*

आज दिनांक 19/11/2022 को उ:नि: उमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रणदीप गौड़ पुत्र चन्द्रभान गौड़ निवासी पुनापार बडागांव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रजादेपुर तिराहे के पास से समय करीब 12:10 बजे गिरफ्तार कर,अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग\***

मु0अ0सं0 - 672/2022 धारा 34,323,504,506,308 भादवि व 3(1) द 3(1) ध 3(2) 5 क SC/ST ACT थाना-जीयनपुर आजमगढ़।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त\***

रणदीप गौड़ पुत्र चन्द्रभान गौड़ निवासी पुनापार बडागांव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम\***

उ0नि0 उमेश कुमार थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

का0 जयसिंह पटेल थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

म0का0 अर्चना कुशवाहा थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।

**\*थाना जीयनपुर\***

**\*ट्रक चोरी में प्रकाश मे आया अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना\***

दिनांक - 16:11:2022 को वादी मुकदमा प्रजपति यादव पुत्र बच्चालाल यादव नि0ग्राम गोपालपुर थाना पडरी जनपद मिर्जापुर द्वारा थाना स्थानीय पर आकर शिकायत की गयी कि टाटा कम्पनी का ट्रक नं UP 63 AT 4700 का चालक वृजेश यादव पुत्र रामबली यादव निवासी रामपुर थाना मडिहन जिला मिर्जापुर ट्रक खाली कर गोरखपुर से वापस आते समय नरईपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मुख्य मार्ग के किनारे ट्रक को खडा कर पेशाब करने ट्रक से निचे उतर कर पेशाब कर रहा था कि उतने में ही ट्रक व ट्रक में रखा मोबाईल रेडमी व 10,000/रू अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 694/2022 धारा - 379 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**\*गिरफ्तारी का विवरण\***

आज दिनांक 19/11/2022 को उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र स्व0विरेन्द्र यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को रामगढ़ से समय करीब 10:15 बजे गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त के पास से एक अदद 14 चक्का TATA ट्रक न0 UP63AT4700 बरामद कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग\***

मु0अ0सं0 694/2022 धारा - 379,411 भा0द0वि0 थाना-जीयनपुर आजमगढ़।

**\*बरामदगी\***

एक अदद 14 चक्का TATA ट्रक न0 UP63AT4700 बरामद ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त\***

सौरभ यादव पुत्र स्व0विरेन्द्र यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को रामगढ़ ।

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम\***

उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

का0 सतीश सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

का0 अर्जुन कुशवाहा थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।

**\*थाना कन्धरापुर\***

**\*युवती से छेडखानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना\***

दिनांक 15.11.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा वादिनी के पटीदार द्वारा जबरजस्ती पकड़कर अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी थी जिसके आधार पर थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 268/2022 धारा 354क भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अजय कुमार पुत्र स्व0 झौहारी राम निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कन्धरापुर आजमढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**\*गिरफ्तारी का विवरण\***

आज दिनांक 19:11:2022 को उ0नि0 जाफर खां मय हमराह द्वारा मुकदामा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र स्व0 झौहारी राम निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कन्धरापुर को आजमपुर चौराहा से समय करीब 11:45 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त\***

अजय कुमार पुत्र स्व0 झौहारी राम निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कन्धरापुर आजमढ़

आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

**\*पंजीकृत अभियोग\***

मु0अ0सं0 268/2022 धारा 354क/354ख भादवि व 7/8पाक्सो एक्ट

**\*आपराधिक इतिहास\***

मु0अ0सं0 268/2022 धारा 354क/354ख भादवि व 7/8पाक्सो एक्ट

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

1: उ0नि0 जाफर खां थाना कन्धरापुर , आजमगढ़।

2: का0 बसन्त कुमार थाना कन्धरापुर , आजमगढ़।

3: का0 कृष्ण कुमार थाना कन्धरापुर , आजमगढ़।

**\*थाना – तरवां\***

आज दिनांक 19.11.2022 को चेकिंग के दौरान उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी इंचार्ज बोंगरिया, मय हमराह थाना तरवां द्वारा अभियुक्त अमरजीत प्रजापति सा0 सरायत्रिलोचन थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर, गांव बांसगांव (भदावर) थाना तरवां से समय करिब 9.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 318/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग\***

मु0अ0सं0 318/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त\***

अमरजीत प्रजापति पुत्र कालीचरन प्रजापति थाना तरवां R/O सरायत्रिलोचन थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

**\*बरामदगी\***

एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\***

उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी ( चौकी प्रभारी बोंगरिया)

का0 ताराचन्द साहनी, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

का0 अनुरुद्ध प्रसाद, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

का0 अमित कुमार , थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

**\*थाना- तरवा\***

**\*पूर्व की घटना\***

दिनांक 16.08.2020 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री शिवभंजन प्रसाद चौकी बोंगरिया थाना तरवां द्वारा आज्ञात उपद्रवियों द्वारा तोड़ फोड़ ,आगजनी करने व सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने तथा पुलिस पार्टी पर ईट पत्थर चलाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी जिसके आधार पर थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 131/2020 धारा 143/353/336/504/427/436 भादवि व 7 CLA ACT बनाम आज्ञात अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**\*गिरफ्तारी की विवरण\***

आज दिनांक 19.11.2022 को उ.नि.मय हमराह मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त राजन पुत्र स्व. रामायन ग्राम मानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को महगुगंज नदी पुलिया के पास से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**\*पंजीकृत अभियोग\***

131/2022 धारा 143/353/336/504/427/436 भादवि व 7 CLA ACT

**\*गिरफ्तार अभियुक्त\***

राजन पुत्र स्व. रामायन ग्राम मानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\***

उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह प्र0 चौकी रासेपुर, मय हमराह थाना तरवां